



96 29

Dated : 04.12.2015

1. संस्थान के फार्म के विभिन्न प्रजातियों के लगभग 945 बेर के पौधों में लगे हुए फलों की नीलामी की जानी है ।
2. बेर के जिन फलों की नीलामी की जानी है, इस बाबत किसी प्रकार के स्पष्टीकरण हेतु संस्थान के प्रभारी फार्म से सम्पर्क किया जा सकता है ।
3. नीलामी में भाग लेने के लिये प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति को बयाना राशि के रूप में रु.2500/- (रुपये दो हजार पांच सौ मात्र) जमा कराने होंगे ।
4. अधिकतम बोलीदाता के हक में बोली छोड़ने या न छोड़ने का अधिकार संस्थान के सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा एवं उनका निर्णय ही अंतिम होगा ।
5. जिस व्यक्ति के नाम से बोली स्वीकृत होगी, उसे स्वीकृत बोली की कुल राशि का एक तिहाई (33 प्रतिशत) मौके पर ही जमा कराना होगा । शेष दो तिहाई राशि संस्थान के बोली स्वीकार्य बाबत पत्र प्राप्त होने के तीन दिन के अंदर जमा करानी होगी । तत्पश्चात ही सफल बोलीदाता को तुड़ाई कार्य प्रारंभ करने का अधिकार पत्र जारी किया जायेगा ।
6. सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित अवधि में बोली की सम्पूर्ण राशि जमा न कर पाने की अवस्था में उसके द्वारा जमा करायी गयी बयाना राशि एवं बोली की एक तिहाई राशि संस्थान द्वारा जब्त कर ली जावेगी । साथ ही उसके पक्ष में स्वीकृत बोली को रद्द कर दिया जायेगा । किस स्थिति में द्वितीय अधिकतम बोली दाता की बोली स्वीकार करने या फलों के विक्रय हेतु पुनः नीलामी आयोजित करने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित रहेगा ।
7. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि फलों की तुड़ाई के दौरान बेर वृक्षों और संस्थान के अन्य बगीचों/वृक्षों एवं अन्य सम्पत्ति को किसी प्रकार की हानि न पहुँचें । बेर बगीचे या उसके आस-पास आग जलाना प्रतिबंधित होगा । यदि किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो इसकी भरपाई ठेकेदार को करनी होगी ।
8. संस्थान से अधिकार पत्र मिलने के पश्चात बेर फलों के तुड़ाई का कार्यादेश जारी होने के तीन माह में पूर्ण कर लेना होगा । तत्पश्चात ठेकेदार का कोई हक बेर फलों पर नहीं रहेगा । इस अवधि में बेर फलों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व ठेकेदार का ही होगा ।
9. बोली की राशि पर लगने वाले किसी प्रकार के स्थानीय करों इत्यादि के भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की ही होगी एवं संस्थान किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा ।
10. फलों की तुड़ाई का कार्य प्रत्येक कार्य दिवस पर तकनीकी कर्मचारी (खण्ड) की देखरेख में प्रातः 8.00 बजे से सायं 5.00 बजे के मध्य ही सम्पन्न करना होगा । रविवार एवं अन्य राजकीय अवकाश में फलों की तुड़ाई नहीं होगी । प्रत्येक पौधे से प्राप्त फलों का वजन लेने के पश्चात ही ठेकेदार को फल दिये जायेंगे । संस्थान में कार्यरत बन्दी श्रमिकों को फलों के तुड़ाई के लिये नहीं लगाना होगा । अन्यथा ठेका तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा । तोड़े गये फलों को संस्थान के बाहर ले जाने से पहले गेट-पास लेना अनिवार्य है ।

11. जहाँ भी आवश्यक हो वहाँ संस्थान के अनुसंधान कार्यों के लिये बेर प्रखण्ड में से प्रत्येक किस्म के 500 ग्राम बेर फल ठेकेदार द्वारा संस्थान को निशुल्क उपलब्ध कराने होंगे ।
12. फलों की तुड़ाई, भण्डारण रख-रखाव इनके परिवहन एवं अन्य किसी भी संबंधित कार्य हेतु संस्थान किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं करायेगा ।
13. किसी भी प्राकृतिक आपदा (पाला, वर्षा, आंधी-तुफान, पशुओं एवं पक्षीयों से नुकसान इत्यादि) एवं अन्य किसी भी कारण से फलों को होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी संस्थान की नहीं होगी ।
14. तुड़ाई अनुबंध के कार्य सम्पादन हेतु लगाए जानेवाले श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान एवं उनके प्रति सभी प्रकार के उत्तरदायित्वों के निर्वहन की पूर्ण जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की होगी एवं संस्थान किसी प्रकार से उत्तर दायी नहीं होगा ।
15. सफल बोलीदाता की बयाना राशि (Earnest Money) का पुर्नभुगतान (Refund) तुड़ाई का कार्य पुर्ण होने के पश्चात एवं प्रभारी फार्म द्वारा अनापति प्रमाण-पत्र (No Dues Certificate) जारी करने पर ही किया जायेगा । इस हेतु ठेकेदार को संस्थान द्वारा जारी मूल रसीद (TR-5) को आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी ।


(पी.पी.पारीक)

प्र.सहायक प्रशासनिक अधिकारी

वितरण :

1. सूचना पट्ट - कार्यालय भवन, के.शु.बा.संस्थान, बीकानेर ।
2. सूचना पट्ट - प्रक्षेत्र कार्यालय भवन, के.शु.बा.संस्थान, बीकानेर ।
3. फार्म मैनेजर - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. प्रभारी फार्म - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. व्यक्तिगत सहायक (निदेशक)
- ✓ 6. प्रभारी, ए.के.एम.यु. के.शु.बा.संस्थान, बीकानेर - संस्थान की वैब साईट व CPP-NIC Portal पर अपलोड करने हेतु ।